

आयालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/5593

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 27.06.25

1 रामूराम पुत्र  
शिवदानराम जाति  
जाट निवासी  
रिड़मलाणियों की  
ढाणी, कगाऊ  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।


1 ईशराराम 2 देदाराम 3 दानाराम 4 नरसिंगाराम 5  
निम्बाराम 6 बाबुराम 7 विशनाराम पिसरान पुरखाराम 8  
पूरो पत्नि पुरखाराम (फौत) जाति जाट निवासी छोड़  
तहसील गुड़ामालानी 9 खुमाराम 10 गुमनाराम 11  
लच्छाराम पिसरान सताराम 12 हेराजराम पुत्र टीकमाराम  
13 खंगाराराम पुत्र पूर्णाराम 14 चंदाराम पुत्र खेमाराम 15  
चुनाराम 16 रेखाराम पिसरान खरथाराम 17 रम्मा पत्नी  
खरथाराम 18 राणाराम पुत्र खेमाराम 19 सुगनी पत्नी  
खेमाराम 20 हेमाराम पुत्र नवलाराम 21 धोली पत्नी  
नवलाराम जाति जाट निवासी रिड़मलाणियों की ढाणी,  
कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर 22. पेमाराम 23 धनाराम  
24 वीराराम पिसरान मेघाराम जाति दर्जी निवासी कगाऊ  
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 161/2025

दिनांक- 26/06/25

**आदेश**

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रिड़मालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 118/49 रकबा 24.7667 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र  
के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व  
पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के  
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये  
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके  
पर अदा किया जावेगा।

  
(वीरगा राम)


उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक 27.06.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5594-97

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गुमनाराम रामूराम पुत्र शिवदानराम जाति जाट निवासी रिड़मलाणियों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण ईशराराम पुत्र पुरखाराम वगैराह जाति जाट निवासी छोड़ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर